रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 300] नई दिल्ली, बुधवार, मई, 9, 2018/वैशाख 19, 1940
No. 300] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 9, 2018/VAISAKHA 19, 1940

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 438 (अ).— राष्ट्रपति,संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक से परामर्श के पश्चात् भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा कर रहे व्यक्तियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम,1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखितनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) दूसरा संशोधन नियम,2018 है।

(2) ये 19 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम,1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के उप-नियम (1) में,-

(i) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(चक) "निःशक्तता" से "विनिर्दिष्ट निःशक्तता", "बैंचमार्क निःशक्तता" और "ऐसी निःशक्तता" अभिप्रेत है जिसे उच्च सहायता की आवश्यकता है जैसा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) में निर्दिष्ट है।

3. उक्त नियमों के नियम 7 में उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु नियम 20 के अधीन आवेदन किए गए अवकाश से चिकित्सा प्राधिकारी, जिसका परामर्श आवद्धकर होगा,के संदर्भ के बिना इंकार या प्रतिसंहृण नहीं किया जाएगा।"।

4. उक्त नियमों के नियम 12 में,-

(क) उप-नियम (1) में, "कोई सरकार" शब्दों के पश्चात् "सेवक" शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा ;

(ख) उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह नियम उस दशा में लागू नहीं होगा, जब अवकाश का, निःशक्तता के सम्बन्ध में किसी चिकित्सा प्रमाणपत्र पर आवेदन किया गया हो ।"।

5. उक्त नियमों के नियम 14 में निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु जहां सरकारी सेवक किसी निःशक्तता के कारण कोई आवेदन या चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो ऐसे आवेदन या चिकित्सा प्रमाणपत्र पर निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकेंगे और प्रस्तुत किया जा सकेगा –

(क) सरकारी सेवक का पति या पत्नी ; या

(ख) अविवाहित सरकारी सेवक की दशा में उसके माता या पिता ; या

(ग) सरकारी सेवक का बालक, जिसके अन्तर्गत दत्तक बालक या भाई या बहन है जो वयस्क हैं ; या

(घ) कोई व्यक्ति, जिसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 14 के निबंधनों में सरकारी सेवक की सीमित संरक्षकता सौंपी गई है,

और ऐसा सरकारी सेवक द्वारा स्वयं किया गया और प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा ।"।

6. उक्त नियमों के नियम 19 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) किसी सरकारी सेवक की दशा में, जो निःशक्त हो गया है, चिकित्सा प्राधिकारी प्ररूप 3क में,-

(क) निःशक्तता की प्रकृति और परिमाण ;

(ख) वह तारीख, जिससे ऐसी निःशक्तता हुई है या प्रकट हुई है, परिमाण जिस तक चिकित्सीय रूप से ऐसा उपदर्शित करना संभव है;

(ग) क्या सरकारी सेवक अपना कार्यभार संभालने के लिए स्वस्थ होने की युक्तियुक्त संभावना है और यदि नहीं, तो स्पष्ट रूप से कथन करें कि ऐसा सरकारी सेवक आगे सेवा के लिए पूर्ण रूप से और स्थायी रूप से अक्षम हो गया है ।

(2क) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए,दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अध्याय 10 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट निःशक्तता के लिए प्रमाणन प्राधिकारी के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चिकित्सक या किसी सरकारी अस्पताल चिकित्सक या सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ, जहां विशेषीकृत उपचार की अपेक्षा है या बहु निःशक्तताओं की दशा में किसी सरकारी अस्पताल में चिकित्सा बोर्ड,प्ररूप 3क में निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी होंगे ।

(2ख) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी किसी विभागाध्यक्ष या किसी अन्य प्राधिकारी सेनिःशक्तता चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए किसी निर्देश की अपेक्षा नहीं होगी ।"।

7. उक्त नियमों के नियम 20 में,-

(क) उप-नियम (1) के, खंड (ख) में उप-खंड (i) और उप-खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(i) यदि चिकित्सा प्राधिकारी यकीन के साथ यह कथन करने में असमर्थ है कि सरकारी सेवक, जो निःशक्त हो गया है, दोबारा कभी भी सेवा करने के लिए समर्थ नहीं होगा, एक समय पर बारह मास से अनधिक अवकाश अनुदत्त किया जा सकेगा और ऐसे अवकाश का किसी चिकित्सा प्राधिकारी को फिर से निर्दिष्ट किए बिना विस्तार नहीं किया जाएगा ;

(ii) यदि सरकारी सेवक को चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा, जैसा कि नियम 19 में विनिर्दिष्ट है, ऐसा निःशक्त घोषित किया गया जो उसे और अधिक सेवा करने से निवारित कर सकती है तो प्ररूप 3क में चिकित्सा प्राधिकारी से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसको अवकाश या अवकाश में विस्तार अनुदत्त किया जा सकेगा:

परंतु खंड (ख) के उप-खंड (i) के अधीन अनुदत्त अवधि (अवधियों) को, जिन्हें अवकाश के नामे डाला गया है, चिकित्सा प्राधिकारी से निःशक्तता प्रमाणपत्र की प्राप्ति के पश्चात् सरकारी सेवक के अवकाश खाते में पुनः जोड़ दिया जाएगा :

परंतु यह और कि खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन अनुपस्थिति की अवधि को विनियमित करने के लिए अनुदत्त किसी अवकाश को चिकित्सा प्राधिकारी से प्रमाणपत्र की प्राप्ति के पश्चात् सरकारी सेवक के अवकाश के खाते में नामे नहीं डाला जाएगा ।"।

(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) किसी सरकारी सेवक की दशा में, जिसे उप-नियम (1) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में अवकाश अनुदत्त किया गया है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध स्व-प्रेरणा से लागू होंगे ।"।

8. उक्त नियमों में प्ररूप 3 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप 3क

(नियम 19 और नियम 20 देखें)

सरकारी सेवक, जिनकी नियम 20 के अधीन अवकाश के लिए सिफारिश की जानी है, के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान.......................................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी...................................(पदनाम और कार्यस्थान को भी कृपया उपदर्शित करें).........................से मेरे चिकित्सा पर्यवेक्षण के अधीन है और..से पीड़ित है*।

2. पूर्वोक्त चिकित्सीय स्थिति से युक्तियुक्त रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह............................से उत्पन्न हुई है और-
   (i) यकीन के साथ यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकारी सेवक सेवा के लिए फिर कभी भी समर्थ नहीं होगा ; या
   (ii) इस बात की कोई युक्तियुक्त संभावना नहीं है कि सरकारी सेवक अपने कर्तव्यों को संभालने के लिए फिर कभी भी समर्थ होगा ।
3. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यकीन के साथ यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकारी सेवक सेवा के लिए कब समर्थ होगा, मैं सिफारिश करता हूं कि श्री/श्रीमति/कुमारी..................................को चिकित्सा आधारों पर तारीख..............................से........................तक (एक वर्ष की अवधि तक) अवकाश अनुदत्त किया जा सकता है ।

   [काट दें, यदि प्रमाणपत्र ऊपर 2(ii) के अधीन जारी किया जा रहा है]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/सरकारी अस्पताल/चिकित्सा बोर्ड का मुहर सहित नाम और पदनाम
या

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 57 के अधीन पदाभिहीत प्रमाणन प्राधिकारी का नाम, पदनाम और ब्यौरे

*टिप्पण :निःशक्तता की प्रकृति विनिर्दिष्ट की जाए ।यहां "निःशक्तता" से इन नियमों के खंड (चक) में विनिर्दिष्ट निःशक्तता अभिप्रेत है ।

[फा.सं. 18017/1/2014-स्थापना(एल)]

ज्ञानेन्द्र देव त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) 19 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त हुआ है और केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 को उक्त अधिनियम की धारा 20 का अनुपालन करने के लिए संशोधित किया जा रहा है

निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के उपबंधों की भावना और आशय को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 को पूर्वोक्त कानूनी उपबंधों के साथ केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 में अपेक्षित संशोधनों को सम्मिलित करके पूर्वोक्त कानूनी उपबंधों के साथ संयोजित करके संशोधित किया जा रहा है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

टिप्पण: मूल नियमों को भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में का.आ. सं. 940, तारीख 8 अप्रैल, 1972 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उनका पश्चातवर्ती संशोधन नीचे दिए अनुसार किया गया है :-

"क्र. सं.	अधिसूचना सं.	तारीख	सा.का.नि. सं.	सा.का.नि. तारीख
1	16(3)-ई.4(ए)/71	11.1.1972	2724	4.11.1972
2	4(7)-ई.4(ए)/72	30.4.1973	1399	19.5.1973
3	5(15)-ई.4(ए)/73	13.7.1973	821	14.8.1973
4	14(10)-ई.4(ए)/73	11.6.1974	तुरंत उपलब्ध नहीं है	
5	5(8)-ई.4(ए)/73	19.7.1974	818	3.8.1974
6	14(8)-ई.4(ए)/74	2.11.1974	1242	23.11.1974
7	16(3)-ई.4(ए)/74	20.12.1974	1374	28.12.1974
8	16(5)-ई.4(ए)/74	11.4.1975	526	26.4.1975
9	16(8)-ई.4(ए)/74	26.5.1975	686	7.6.1975
10	4(1)-ई.4(ए)/74	24.6.1975	834	12.7.1975
11	16(8)-ई.4(ए)/74	20.9.1975	2876	27.12.1975
12	5(7)-ई.4(ए)/75	2.12.1975	2877	27.12.1975
13	5(16)-ई.4(ए)/73	15.1.1976	तुरंत उपलब्ध नहीं है	
14	16(6)-ई.4(ए)/74	31.7.1976	1184	14.8.1978
15	16(3)-ई.4(ए)/76	7.10.1976	1587	13.11.1976

16	4(9)-ई.4(ए)/76	14.3.1977	611	14.5.1977
17	14(11)-ई.4(ए)/76	12.9.1978	1159	23.9.1978
18	14025/1/78-ई.4(ए)	4.10.1978	1255	21.10.1978
19	13024/1/76-ई.4(ए)	29.8.1979	1150	15.9.1979
20	11022/1/77-ई.4(ए)	21.11.1979	1422	1.12.1979
21	14018/1/80-एलयू	21.11.1980	1260	13.12.1980
22	16(19)-ई.4(ए)/76	31.12.1980	263	24.11.1981
23	11012/2/80-स्था. (एल)	24.8.1981	811	5.9.1981
24	14028/9/80-स्था. (एल)	1.10.1981	927	17.10.1981
25	14025/9/80-स्था. (एल)	16.4.1982	423	8.5.1982
26	13023/2/81-स्था. (एल)	16.4.1983	430	4.6.1983
27	14028/8/82-स्था. (एल)	27.7.1983	489	13.8.1983
28	131023/2/81-स्था. (एल)	12.10.1983	804	5.11.1983
29	14028/6/81-स्था. (एल)	17.10.1973	350	24.3.1983
30	13015/11/82-स्था. (एल)	25.5.1984	566	9.6.1984
31	18011/3/80-स्था. (एल)	12.7.1984	788	28.7.1984
32	14028/1/81-स्था. (एल)	19.7.1984	817	4.8.1984
33	14028/16/82-स्था. (एल)	31.5.1985	558	15.6.1985
34	13014/1/85-स्था. (एल)	3.12.1985	1139	14.12.1985
35	14028/19/86-स्था. (एल)	9.12.1986	1072	14.12.1985
36	13023/20/84-स्था. (एल)	11.12.1986	1102	27.12.1986
37	13014/1/87-स्था. (एल)	17.6.1987	515	4.7.1987
38	11012/1/85-स्था. (एल)	23.6.1987	516	4.7.1988
39	14028/18/86-स्था. (एल)	23.3.1988	260	9.4.1988
40	11012/1/85-स्था. (एल)	6.6.1988	476	18.6.1988
41	13012/12/86-स्था. (एल)	10.3.1989	198	25.3.1989
42	13026/2/90-स्था. (एल)	22.10.1990	55	26.1.1991
43	11014/3/89-स्था. (एल)	2.5.1991	303	18.5.1991
44	11014/3/89-स्था. (एल)	21.1.1992	49	8.2.1992
45	13026/2/90-स्था. (एल)	4.3.1992	119	14.3.1992
46	13026/2/90-Est.(Leave)	20.4.1993	225	8.5.1993
47	13018/7/94-स्था. (एल)	31.3.1995	317(अ)	31.3.1995
48	14028/10/91-स्था. (एल)	8.8.1995	385	19.8.1995
49	14028/4/91-स्था. (एल)	18.9.1995	442	7.10.1995
50	14015/2/97-स्था. (एल)	31.12.1997	727(अ)	31.12.1997
51	13026/1/99-स्था. (एल)	18.4.2002	149	27.4.2002
52	13026/1/2002-स्था. (एल)	15/16.1.2004	186	5.6.2004

53	14028/1/2004-स्था. (एल)	13.2.2006	47	4.3.2006
54	13018/4/2004-स्था. (एल)	31.3.2006	91	27.4.2006
55	13023/3/98-स्था. (एल), खंड. 2	26.10.2007	229	3.11.2007
56	11012/1/2009-स्था. (एल)	1.12.2009	170	5.12.2009
57	13026/1/2010-स्था. (एल)	12.5.2011	160	12.5.2011
58	13026/5/2010-स्था. (एल)	5.8.2011	601(अ)	5.8.2011
59	14028/1/2010-स्था. (एल)	26.8.2011	646(अ)	26.8.2011
60	13018/4/2011-स्था. (एल)	27.8.2011	648(अ)	27.8.2011
61	13026/4/2011-स्था. (एल)	26.12.2011	898(अ)	26.12.2011
62	13026/3/2011-स्था. (एल)	28.3.2012	255(अ)	28.3.2012
63	13026/2/2010-स्था. (एल)	29.3.2012	261(अ)	29.3.2012
64	13026/5/2011-स्था. (एल)	4.4.2012	283(अ)	4.4.2012
65	13026/4/2012-स्था. (एल)	18.2.2014	96(अ)	18.02.2014
66	13026/4/2012-स्था. (एल)	17.4.2014	286(अ)	21.04.2014
67	13018/6/2013-स्था. (एल)	9.10.2014	711(अ)	09.10.2014
68.	13026/2/2016-स्था. (एल)	15.3.2017	251(अ)	15.3.2017
69.	13023/1/2017-स्था. (एल)	1.1.2018	08(अ)	1.1.2018